—

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–91 / 2022 (2022 / 200) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. अमरा पिता हजारी गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजु पिता हजारी गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. नाथु पिता कीका गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. छगु पिता माना गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जैराम पिता माना गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लालु पिता माना गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सोहन पिता माना गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. ऐजीदेवी पत्नि छोगा गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. गंगादेवी पत्नि घासीराम गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. गोमी पत्नि छगु गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. दाखी पत्नि जैराम गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. नन्दुदेवी पत्नि उमा गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. मीठु पत्नि सोहन गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. रामी पत्नि सोहन गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. अरूणकुमार पिता गोकुललाल सनाढ्य ब्राहम्ण निवासी उदयपुर जिला उदयपुर
14. उषानाथ पिता गोकुललाल सनाढ्य ब्राहम्ण निवासी उदयपुर जिला उदयपुर
15. चितरंजननाथ पिता गोकुललाल सनाढ्य ब्राहम्ण निवासी उदयपुर जिला उदयपुर
16. दिलीपकुमार पिता गोकललाल सनाढ्य ब्राहम्ण निवासी उदयपुर जिला उदयपुर
17. दिलीपकुमार पिता घनश्यामलाल सनाढ्य ब्राहम्ण निवासी उदयपुर जिला उदयपुर
18. हेमनाथ पिता घनश्यामलाल सनाढ्य ब्राहम्ण निवासी उदयपुर जिला उदयपुर
19. ग्राम पंचायत झड़ोल पंचायत समिति रायपुर तहसील रायपुर जरिये सरपंच झड़ोल

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. हरिश चन्द्र टेलर – प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. रितेष सुराणा – विपक्षीगण 2, 3, 4, 8 अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:59:43 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 13.10.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम डांगड़ा पटवार हल्का झड़ोल तहसील [illegible] में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी [illegible] 264 [illegible] है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 63 पर अन्य आराजियात के साथ दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय [illegible] ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने दिनांक 21.05.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार

कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 01.06.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1, 6 लगायत 12 एवं 19 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 के अधिवक्ता की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा विपक्षी संख्या 13 लगायत 18 तक की अदम तामिल होने से उनके विरूद्व प्रार्थीगण अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है।

विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 ने अपने जवाब में अंकन किया कि आराजी संख्या 264 पूर्व में सनाढ्य परिवार की थी जिन्होने प्रार्थीगण को भूमियां विक्रय की उन्होने ही हम विपक्षीगण को भी भूमियां विक्रय की और मौके पर कब्जे सिपूर्द किये। हम विपक्षीगण को जहां कब्जा सिपूर्द किया वहां पर पक्का मकान बना लिए गये है और उन पर हमारा कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। वर्तमान में आराजी संख्या 264 में गड़बड़ी भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा विक्रेता को भूमियां कब्जा देने के दौरान हुई है। उक्त आराजी के भू भाग पर विपक्षीगण के नोहरे मकान बाड़े बने हुए होकर हमारी ही आधिपत्य है जिससे नाजायज दंखलदांजी करने का कोई प्रश्न ही नही है। प्रार्थीगण द्वारा गलत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारीज योग्य है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त आधारो पर खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम डांगड़ा पटवार हल्का झड़ोल तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 264 रकबा 0.34 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 63 पर अन्य आराजियात के साथ दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200 / –रूपये राजकोष [illegible] कमिश्नर फीस 500 / –रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने [illegible] से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम [illegible] मे दाखला अंकित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:59:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 13.10.2022 को मेरे [illegible]रा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भील.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—91/2022 (2022/200) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. अमरा पिता हजारी गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजु पिता हजारी गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. नाथु पिता कीका गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. छगु पिता माना गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जैराम पिता माना गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लालु पिता माना गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सोहन पिता माना गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. ऐजीदेवी पत्नि छोगा गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. गंगादेवी पत्नि घासीराम गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. गोमी पत्नि छगु गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. दाखी पत्नि जैराम गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. नन्दुदेवी पत्नि उमा गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. मीठु पत्नि सोहन गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. रामी पत्नि सोहन गुर्जर निवासी डांगड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. अरूणकुमार पिता गोकुललाल सनाढ्य ब्राहम्ण निवासी उदयपुर जिला उदयपुर
14. उषानाथ पिता गोकुललाल सनाढ्य ब्राहम्ण निवासी उदयपुर जिला उदयपुर
15. चितरंजननाथ पिता गोकुललाल सनाढ्य ब्राहम्ण निवासी उदयपुर जिला उदयपुर
16. दिलीपकुमार पिता गोकललाल सनाढ्य ब्राहम्ण निवासी उदयपुर जिला उदयपुर
17. दिलीपकुमार पिता घनश्यामलाल सनाढ्य ब्राहम्ण निवासी उदयपुर जिला उदयपुर
18. हेमनाथ पिता घनश्यामलाल सनाढ्य ब्राहम्ण निवासी उदयपुर जिला उदयपुर
19. ग्राम पंचायत झड़ोल पंचायत समिति रायपुर तहसील रायपुर जरिये सरपंच झड़ोल

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 13.10.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम डांगड़ा पटवार हल्का झड़ोल तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 264 रकबा 0.34 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 63 पर अन्य आराजियात के साथ दर्ज होकर स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:59:43 IST
Reason: SelfAttested

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी [illegible] /—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/—रूपये सम्बधित भू—अभिलेख [illegible] उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामिल [illegible] जावे।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये [illegible] को नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 13.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा